झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

आपराधिक प्रकीर्ण याचिका 390 वर्ष 2021

विपिन चन्द्र पाण्डेय उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र नवीन चन्द्र पाण्डेय निवासी पंचवटी प्लाजा, कचहरी रोड, पोस्ट ऑफिस जीपीओ, पुलिस थाना- कोतवाली, जिला- राँची, झारखण्ड

.....**याची**

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. चन्द्र मोहन उम्र लगभग 40 वर्ष, पुत्र श्री होटिला, निवासी 1351, ई 1 गली सं. 13 ,गोविन्दपुरी, कालकाजी, पोस्ट ऑफिस, तथा पुलिस थाना- गोविन्दपुरी नईदिल्ली

.....**विरोधी पक्षकारगण**

याची के लिए : श्री गोविन्द रे करन, अधिवक्ता

श्री अमित कुमार वर्मा, अधिवक्ता

श्री नागमणि तिवारी, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री पंकज कुमार लोक.अभियोजक.

विरोधी पक्षकार सं. 2 के लिए : श्री अशोक कुमार सिन्हा (2) अधिवक्ता

निर्णीत

मा. श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- दोनो पक्षकारो को सुना

2. इस आपराधिक प्रकीर्ण याचिका को आदेश दिनांक 22-09-2018 सहित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420 तथा 120 ख के अधीन दण्डनीय अपराधो के लिए पंजीकृत जी.आर सं. 4871 वर्ष 2017 के तत्समान कोतवाली पुलिस थाना मामला सं. 247 वर्ष 2017 के सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाही का अभिखंडन करने तथा अपास्त करने के अनुरोध के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420 तथा 120 ख के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु संज्ञान याची के विरूद्ध लिया गया है तथा याची के विरूद्ध समनो को भी जारी किया गया है तथा उक्त मामला अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,राँची के न्यायालय में लंबित है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा इत्तिला देने वाले / विरोधी पक्षकार सं.2 के विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से अन्तर्वर्ती आवेदन सं. 2293 वर्ष 2024 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया है जो याची तथा इत्तिला देने वाले / विरोधी पक्षकार सं.02 के पृथक शपथपत्रो द्वारा समर्थित है जिससे यह उल्लेख किया गया है कि पक्षकारो ने पहले ही आम मित्रो तथा शुभेच्छुओ के हस्तक्षेप से मैत्रीपूर्ण तरीके से न्यायालय के बाहर अपने विवाद को निपटा लिया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि पक्षकारो को बीच विवाद मूलतः ऐसा विवाद है जिसमें सिविल विशिष्टतता है तथा कोई लोक नीति अन्तर्वलित नही है। याची के विद्वान अधिवक्ता के आगे निवेदन किया है कि पक्षकारो के बीच समझौता के दृष्टिगत दाण्डिक कार्यवाही का जारी रहना विधि के कार्यवाही के दुरूपयोग के तुल्य होगा क्योकि समझौता के दृष्टिगत, याची के दोष सिद्धि की गुंजाइस दूर एवं कठोर है। अतः यह निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 22-09-2018 सहित जी.आर. सं. 4871 वर्ष 2017 के तत्समान कोतवाली पुलिस थाना मामला सं. 247 वर्ष 2017 के सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420 तथा 120 ख के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु संज्ञान याची के विरूद्ध लिया गया है तथा याची के विरूद्ध समनो को भी जारी किया गया है जो अभी विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राँची के न्यायालय में लंबित है, को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

4. राज्य के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान लो. अभि. ने निवेदन किया है कि पक्षकारो के बीच समझौता के दृष्टिगत, राज्य को आदेश दिनांक 22-09-2018 सहित जी.आर सं. 4871 वर्ष 2017 के तत्समान कोतवाली पुलिस थाना मामला सं. 247 वर्ष 2017 के सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो का अभिखंडन करने तथा अपास्त करने में कोई आपत्ति नही है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420 तथा 120 ख के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु संज्ञान याची के विरूद्ध लिया गया है तथा याची के विरूद्ध समनो को भी जारी किया गया है जो अभी विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राँची के न्यायालय में लंबित है।

5. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्दी निवेदनो को सुनने के बाद तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रीयो का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारत के मा. उच्चतम न्यायालय को पर्वत भाई अहीर उर्फ पर्वत भाई भीम सिंह भाई करमुर तथा अन्य बनाम गुजरात राज्य तथा एक अन्य (2017) 9 एससीसी 641 में संप्रकाशित मामले में पक्षकारो के बीच समझौता के आधार पर अन्य बातो के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता

की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय के अधिकारिता पर विचार करने का अवसर मिला था तथा निम्नवत पैरा सं. 11 में अभिनिर्धारित किया है :

"11. धारा 482 अध्यारोही प्रावधान से आरंभ होता है। कानून (i) किसी न्यायालय के कार्यवाही के दुरूपयोग को रोकने या (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के आदेशो जैसा आवश्यक है को रोकने के लिए उच्च न्यायालय एक वरिष्ठ न्यायालय के रूप में अन्तनिर्हित शक्ति की व्यावृति करता है। ज्ञान सिंह में [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303 :(2012) 4 एससीसी (सिव) 1188: (2013) 1 एससीसी (क्रि) 160 :(2012) 2 एससीसी (एलएवंएस) 988) इस न्यायालय के तीन विद्वान जजो की पीठ ने विषय पर नजीर के मुख्य भाग का उल्लेख किया था तथा निर्देशक सिद्धांतो को अधिकथित किया था जिस पर विचार उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित करने में करना चाहिए कि क्या अन्तनिर्हित अधिकारिता के प्रयोग में प्र.सू.रि. या परिवाद को अभिखंडित करना चाहिए।विचार जो उच्च न्यायालय पर प्रभाव डालता है: (एससीसी पे. 342,343,पैरा 61)

"61. अपने अन्तनिर्हित अधिकारिता के प्रयोग में दाण्डिक कार्यवाही या प्र.सू.रि.या परिवाद का अभिखण्डन करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के अन्तर्गत अपराधो के शमनीकरण हेतु दाण्डिक न्यायालय को दिये गये शक्ति से अलग तथा भिन्न है। अन्तनिर्हित शक्ति व्यापक प्राचुर्य के बारे में है जिसकी कोई कानूनी सीमा नही है लेकिन इसका प्रयोग इस प्रकार के शक्ति अर्थात (i) न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए या (ii) किसी न्यायालय के कार्यवाही के दुरूपयोग को रोकने के लिए में रोपित दिशानिर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए। किन मामलो में दाण्डिक कार्यवाही या परिवाद या प्र.सू.रि. का अभिखण्डन करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहाँ अपराधी तथा पीड़ित ने अपने विवाद को निपटा लिया है प्रत्येक मामले के तथ्यो तथा परिस्थितियो पर निर्भर होगा तथा किसी श्रेणी को विहित नही किया जा सकता है। फिर भी इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करनेके पहले उच्च न्यायालय को अपराध के प्रकृति तथा गंभीरता पर सम्यक ध्यान देना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता के जघन्य तथा गंभीर अपराधो या हत्या, बलात्कारो, डकैती इत्यादि जैसे अपराधो को उपयुक्त तरीके से अभिखंडित नही किया जा सकता है यद्यपि पीड़ित या पीड़ित के परिवार तथा

अपराधी ने विवाद को निपटा लिया है। इस प्रकार के अपराध प्रकृति में प्राइवेट नही है तथा इसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनो के अन्तर्गत अपराध इस क्षमता इत्यादि से काम करते हुए लोक सेवको द्वारा किये गये अपराधो के संबंध में पीड़ित तथा अपराधी के बीच कोई समझौता दाण्डिक कार्यवाहियाँ जिसमें इस प्रकार के अपराध अन्तर्वलित है का अभिखंडन करने के लिए किसी आधार का उपबन्ध नही कर सकता है। लेकिन दाण्डिक मामले जिसमें प्रबल तरीके से तथा प्रमुख रूप से सिविल विशिष्टतता होती है, विशेष रूप से व्यापारिक, वित्तीय, वाणिज्यिक, सिविल भागीदारी या इस प्रकार के संव्यवहारो से उद्भूत अपराधो या दहेज इत्यादि से संबंधित विवाह विषयक अथवा पारिवारिक विवादो जहाँ अपराध मूलतः प्रकृति में प्राइवेट या व्यक्तिगत है तथा पक्षकारो ने अपने सम्पूर्ण विवाद को निपटा लिया है कि अभिखण्डन के प्रयोजन हेतु भिन्न आधार पर आधारित होता है। इस श्रेणी के मामलो में, उच्च न्यायालय दाण्डिक कार्यवाहियो का अभिखंडन कर सकता है यदि इसकी राय में अपराधी तथा पीड़ित के बीच समझौता के कारण, दोष सिद्धि की संभावना दूर तथा कठोर है एवं दाण्डिक मामले के जारी रहने से अभियुक्त का अत्यधिक उत्पीड़न होगा तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं पीड़ित के साथ पूर्ण सूलह समझौते के बावजूद दाण्डिक मामले का अभिखण्डन न करने से इसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में उच्च न्यायालय को विचार करना चाहिए की क्या दाण्डिक कार्यवाही का जारी रहना न्यायहित के विरूद्ध होगा या अनुचित होगा अथवा दाण्डिक कार्यवाही का जारी रहना पीड़ित तथा अपराधी के बीच सुलह समझौते के बावजूद विधि के कार्यवाही के दुरूपयोग के तुल्य होगा तथा क्या न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए यह उचित है कि दाण्डिक मामले का अंत हो तथा यदि उपरोक्त प्रश्न (प्रश्नो) का उत्तर हाँ में है वो उच्च न्यायालय दाण्डिक कार्यवाही का अभिखण्डन करने के लिए भली भाँति अपने अधिकारिता में होगा। (बल दिया गया)

6. अभिलेख के परिशीलन से प्रकट होता है कि इस मामले में अन्तर्वलित अपराध जघन्य अपराध नही है न ही मानसिक भ्रष्टता का कोई गंभीर अपराध है बल्कि यह पक्षकारो के बीच प्राइवेट-विवाद से संबंधित हे जिसमें सिविल विशिष्टतता है।

7. अपराधी तथा पीड़ित के बीच पूर्ण समझौते के कारण याची के दोष सिद्धि की संभावना दूर तथा कठोर है तथा दाण्डिक मामले के जारी रहने से याची का अत्यधिक उत्पीड़न होगा तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं पीड़ित के साथ पुर्ण सुलह समझौते के बावजूद दाण्डिक मामले का अभिखण्डन न करने से इसके साथ अत्य़धिक अन्याय होगा।

8. अतः इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि यह उपयुक्त मामला है जहाँ आदेश दिनांक 22-09-2018 सहित जी.आर सं.4871 वर्ष 2017 के तत्समान कोतवाली पुलिस थाना मामला सं. 247 वर्ष 2017 की सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियाँ जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत तथा जिसके अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420 तथा 120 ख के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु संज्ञान याची के विरूद्ध लिया गया है तथा याची के विरूद्ध समनो को भी जारी किया गया है, जो अभी विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राँची के न्यायालय में लंबित है, जैसा याची द्वारा अनुरोध किया गया है, को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

9. तद्नुसार आदेश दिनांक 22-09-2018 सहित जी.आर.सं.4871 वर्ष 2017 के तत्समान कोतवाली पुलिस थाना मामला सं. 247 वर्ष 2017 के सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420 तथा 120 ख के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु संज्ञान याची के विरूद्ध लिया गया है तथा याची के विरूद्ध समनो को भी जारी किया गया है, जो अभी विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राँची के न्यायालय में लंबित है, याची के विरूद्ध अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

10. परिणाम स्वरूप, इस आपराधिक प्रकीर्ण याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

11. वर्तमान आ.प्र.या. के निपटारे के दृष्टिगत, आई ए सं. 2293 वर्ष 2024 को तद्नुसार निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमुर्ति)

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)